

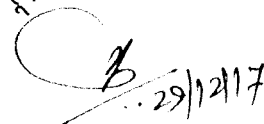
आदेश संख्या-जीएसटी/2017-18/

17 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र०
(जीएसटी अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2017

आदेश

विषय:- प्रारूप जीएसटी सीएमपी-03 में कम्पोजीशन का विकल्प चुनने के दिनांक से पूर्ववर्ती दिनांक को उपलब्ध स्टॉक की सूचना दिये जाने की समय सीमा का विस्तार।

उ० प्र० माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 3 के उपनियम (4) सपठित उ०प्र० माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आदेश संख्या 01 दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को अतिक्रमित करते हुए, मैं आयुक्त राज्य कर, एतद्वारा, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने का विकल्प चुनने के दिनांक से पूर्ववर्ती दिनांक को उपलब्ध स्टॉक का विवरण प्रारूप जीएसटी सीएमपी-03 में प्रस्तुत करने की समय सीमा दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाता हूँ।


(मुकेश कुमार मेश्राम)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।